कार्यालय नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम
नैनीताल रोड़, हल्द्वानी, पिन कोड़– 263139
(www.Nagarnigamhaldwani.in) toll free no- 8882610000
E-Mail- haldwaninagarnigam@gmail.com दूरभाष:–05946–220035

पत्रांक :– 233 / मार्केटिंग अनुभाग — दिनांक :– 03-5-25

सार्वजनिक सूचना

नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम क्षेत्रान्तर्गत निजी भूमि पर साप्ताहिक हाट बाजार संचालन की अनुमति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते है। आवेदन पत्र की शर्तें दिनांक 05/05/05/2025 से नगर निगम की बेवसाइट www.haldwaninagarnigam.com पर देखी एवं डाउनलोड की जा सकती हैं अथवा नगर निगम कार्यालय के कक्ष नं0–12 से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती हैं। आवेदन प्रपत्र दिनांक 17/05/2025 को अपरान्ह 01:00 बजे तक नगर निगम कार्यालय के कक्ष सं0 12 में जमा किये जा सकते हैं।

वरिष्ठ वित्त अधिकारी
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।

नगर आयुक्त
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।

प्रतिलिपि–

1. सम्पादक दैनिक उत्तर उजाला एवं सम्पादक दैनिक अमर उजाला नैनीताल संस्करण को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सार्वजनिक को न्यूनतम निर्धारित दरों में अधिकतम 40 वर्ग सेमी0 पठनीय स्पेस में प्रकाशित कर भुगतान हेतु संस्करण की दो प्रतियां बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
2. प्रांजलि वैंचर्स को इस आशय से प्रेषित की वे उपरोक्त सार्वजनिक सूचना को नगर निगम वेबसाईट में अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
3. कार्यालय उपजिलाधिकारी हल्द्वानी, कार्यालय तहसीलदार हल्द्वानी, नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम के कार्यालय नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

नगर आयुक्त
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।

फोटो

वित्तीय प्रस्ताव

1. नाम –...

2. पिता का नाम –...

3. पता–..

....

4. मोबाईल नं०–...

5. हाट बाजार स्थल का पता–..

6. प्रस्तावित धनराशि का विवरण अंको में–..

शब्दों में–...

7. प्रस्तावित दिवरा –...

नगर निगम सीमान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–2026 में हाट बाजारों के संचालन हेतु नियम व शर्तें :–

1. नगर निगम सीमान्तर्गत ब्यूरा बन्दोबस्ती, रेशम बाग कुसुमखेड़ा, लालडांठ मंगल बाजार, आर0टी0ओ0 रोड़ यूनिवर्सल स्कूल व गैस गोदाम रोड़ कुसुमखेड़ा को छोड़कर हॉट बाजार संचालन हेतु इच्छुक व्यक्ति/भू–स्वामी आवेदन कर सकते हैं परन्तु 01km के दायरे में दूसरा हॉट बाजार अनुमन्य नहीं किया जायेगा। 01km के दायरे में 01 से अधिक व्यक्ति/भू–स्वामियों के आवेदन प्राप्त होते हैं तो प्रस्ताव में अधिक बोली अंकित करने वाले आवेदक के पक्ष में हॉट बाजार का आवंटन किया जायेगा।
2. 01km के दायरे का निर्धारण नगर आयुक्त द्वारा गठित हॉट बाजार आवंटन समिति के द्वारा किया जायेगा।
3. हॉट बाजार संचालन का आवंटन 02 (दो) वर्ष के लिए किया जायेगा। हॉट बाजार संचालन अवधि में यदि अधिकृत आवंटी हॉट बाजार नहीं लगाना चाहता है तो इस संबंध में 01 माह का नोटिस (शपथ पत्र) नगर निगम को देना होगा परन्तु जमा करायी गई धनराशि वापस नहीं होगी।
4. हॉट बाजार संचालन हेतु इच्छुक व्यक्ति तकनीकी व वित्तीय प्रस्ताव अंकित करते हुए अलग–अलग लिफाफों में डालकर तथा दोनों लिफाफों को एक अन्य बड़े लिफाफे में डालकर उस पर प्रस्तावक का नाम व प्रस्तावित हॉट बाजार स्थल स्पष्ट अंकित करते हुए दिनांक 17/05/25 को अपराहन 01:00 बजे तक नगर निगम कार्यालय के कक्ष सं0 12 में रखे बॉक्स में डाल सकते हैं।
5. यदि हॉट बाजार प्रस्तावक एक स्थल पर दो दिन हॉट बाजार संचालन करना चाहता है तो संचालक को दोनों दिवस की धनराशि पृथक–पृथक अंकित करना होगा।
6. नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम द्वारा हॉट बाजार हेतु आवेदन शुल्क धनराशि रू0 10,000/– निर्धारित है जिस पर 18 प्रतिशत जी0 एस0 टी0 पृथक से देय होगा। जिनके डिमाण्ड ड्राफ्ट पृथक–पृथक तकनीकी प्रस्तावों के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. आवेदक द्वारा हॉट बाजार लाईसेन्स हेतु अपनी प्रस्तावित दरें स्पष्ट शब्दों और अकों में लिखी जायेंगी।
8. तकनीकी प्रस्ताव की शर्तें पूरी होने पर ही वित्तीय प्रस्ताव खोले जायेंगें।
9. हॉट बाजार प्रस्ताव स्वीकृत होने पर आवंटी को प्रस्तावित वार्षिक शुल्क की 25 प्रतिशत धनराशि 01 सप्ताह में अग्रिम शुल्क के रूप में जमा करानी होगी। शेष धनराशि 03–03 माह के अन्तराल में जमा कराना अनिवार्य होगा।

क्रमशः....................2

10.हॉट बाजार संचालित करने हेतु भू–खण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल एक एकड़ होना आवश्यक है। एक एकड़ से कम भू–खण्ड होने पर नगर आयुक्त, द्वारा गठित समिति द्वारा औचित्यपूर्ण आधार पर अनुमति हेतु विचार किया जा सकेगा।

11. हॉट बाजार संचालन हेतु इच्छुक प्रस्तावक को अपने तकनीकी प्रस्ताव के साथ स्वयं/फर्म का आधार कार्ड, पैन कार्ड, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन के साथ–साथ हॉट बाजार शुल्क की एफ0डी0आर0, भू–स्वामित्व का प्रमाण पत्र/किराया अनुबन्ध की छायाप्रति के साथ–साथ भू–खण्ड पर दुकान लगाने हेतु ले–आउट प्लान संलग्न करना होगा जिसमें दुकानों की संख्या, पार्किंग व शौचालय, आदि को दर्शाना अनिवार्य होगा।

12. हॉट बाजार संचालन हेतु प्रस्तावक को आवंटन की समस्त शर्तों की सहमति के सम्बन्ध में रू0 10/– के स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र देना अनिवार्य होगा।

13. ले–आउट में प्रत्येक दुकानदार हेतु 06×06 फिट के फड़ आवंटन का प्रस्ताव किया जायेगा। फड़ों के लिए आरक्षित भू–खण्ड क्षेत्र पर नगर निगम हॉट बाजारों के संचालन हेतु गजट के अनुसार शुल्क हॉट बाजार संचालनकर्ता द्वारा लिया जा सकेगा।

14.हॉट बाजार संचालन हेतु प्रस्ताव विगत वर्ष की तुलना में कम–से–कम 10 प्रतिशत अधिक धनराशि प्रस्तावित किये जाने पर ही स्वीकार किया जायेगा, परन्तु नये स्थल पर हॉट बाजार संचालित करने हेतु लगाये जाने वाले फड़ों की संख्या व न्यूनतम हॉट बाजार शुल्क से कम शुल्क प्रस्तावित किये जाने पर प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

15. हाट बाजार स्थल पर जन सुविधाएं यथा पार्किंग, लाईट, शौचालय, साफ–सफाई, व सी0सी0टी0वी0 कैमरा आदि की व्यवस्था हॉट बाजार संचालनकर्ता को स्वयं करनी होंगी। बाजार की समाप्ति पर हॉट बाजार स्थल की पूर्णतः सफाई कर कूड़ा निगम के कूड़ा वाहन को उपलब्ध कराना होगा जिसका शुल्क पृथक से नगर निगम को देय होगा। हॉट बाजार समाप्ति के उपरान्त सफाई न कराने पर स्थल की फोटोग्राफी कर प्रथम बार में रू0 5,000/– व दूसरी बार में रू0 10,000/– का अर्थदण्ड लगाया जायेगा। अर्थदण्ड जमा न करने या तीसरी शिकायत प्राप्त होने पर आवंटन निरस्त कर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

16. हॉट बाजार संचालक द्वारा सी0सी0टी0वी0 कैमरा, शौचालय, लाईट आदि हॉट बाजार स्थल पर उपलब्ध न कराये जाने पर उक्त कार्य नगर निगम द्वारा कराया जायेगा जिस पर होने वाला व्यय हॉट बाजार आवंटन शुल्क में जोड़ दिया जायेगा।

क्रमशः................3

17. हाट बाजार में पॉलीथीन/थरमाकॉल/Single use plastic एवं अन्य प्रतिबन्धित उत्पादों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। सफाई तथा स्वच्छता के मानकों एवं प्लास्टिक उपयोग सम्बन्धी प्रतिबन्धों के बार–बार उल्लघंन पर आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।

18. हॉट बाजार संचालक को हॉट बाजार स्थल पर एक साइन बोर्ड लगाना होगा जिस पर नगर निगम द्वारा स्वीकृत हॉट बाजार संचालक का नाम, बाजार स्थल का क्षेत्रफल, पार्किंग स्थल का क्षेत्रफल व शुल्क सूची आदि लिखा जाना अनिवार्य होगा।

19. यातायात, जन स्वास्थ्य, औचित्यपूर्ण जन शिकायत या किसी राजकीय विभाग की औचित्यपूर्ण आपत्ति, कानून एवं व्यवस्था आदि के आधार पर किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम में निहित होगा।

20. किसी विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त, नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

21. नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम के किसी भी बकायेदार का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जायेगा।

22. नगर निगम के द्वारा अनुबन्धित हॉट बाजार संचालक को हॉट बाजार में वसूली अभिकर्ताओं का नाम, पता व पासपोर्ट साईज फोटो नगर निगम कार्यालय में उपलब्ध कराई जानी अनिवार्य होगी। वसूली अभिकर्ताओं को परिचय पत्र हॉट बाजार संचालक द्वारा उपलब्ध कराये जायेगें।

23. हॉट बाजार संचालक को एक हॉट बाजार पंजिका बनानी होगी जिसमें हॉट बाजार में आने वाले समस्त व्यवसायिकों के नाम, पिता/पति का नाम, स्थाई निवास का पता, वर्तमान निवास का पता व आधार कार्ड दर्शाया जाना अनिवार्य होगा

24. हॉट बाजार संचालक को स्वीकृत लाईसेन्स शुल्क धनराशि के अनुसार निर्धारित स्टाम्प शुल्क पर पंजीकृत अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा जिसका समस्त शुल्क सम्बन्धित चयनित आवंटि द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

25. हॉट बाजार स्थल पर किसी विवाद, शिकायत व असुविधा की स्थिति में साइट बदलने का अधिकार नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम के पास सुरक्षित होगा।

26. हॉट बाजार में आगजनी की घटना/अन्य दुर्घटनाओं से निपटने की सम्पूर्ण व्यवस्था तथा उपकरण व निस्तारण की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अधिकृत संचालक की होगी।

क्रमशः.................4

27.यातायात एवं जनसुविधा हेतु यदि नगर निगम अथवा शासन/प्रशासन द्वारा हॉट बाजार हटाये जाने में यदि आवंटि को कोई क्षति होती है तो नगर निगम द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

28.किसी भी माननीय न्यायालय सम्बंधी वाद के लिए क्षेत्राधिकार जिला नैनीताल के जिला न्यायालय/न्यायालयों में होगा।

29.हॉट बाजार में आने वाले व्यापारी व उपभोक्ताओं के वाहनों को पार्किंग हेतु चयनित स्थल पर ही पार्क कराया जायेगा। मुख्य मार्ग व आवासीय कालोनी के मार्गों पर वाहन पार्क नहीं किये जायेंगे। ऐसा पाया जाने पर नगर आयुक्त, को अधिकार होगा कि वह इस बात की चेतावनी अधिकृत हॉट बाजार संचालक को जारी करेगा। हॉट बाजार संचालक द्वारा शिकायत का निस्तारण न किये जाने पर प्रथम बार में रू0 5,000/, द्वितीय बार में रू0 10,000/ जुर्माना आरोपित किये जाने के पश्चात तृतीय अवसर पर शिकायत प्राप्त होने पर जमानत धनराशि जब्त करते हुए ठेका निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। हॉट बाजार संचालक द्वारा नगर निगम को कोई भी देय धनराशि जो आवंटन/अनुबंध से सम्वन्धित हो भू-राजस्व के बकाए के रूप में वसूली जा सकेगी।

30.हॉट बाजार में व्यापारियों/उपभोक्ताओ के मध्य कोई विवाद को स्वयं अथवा पुलिस प्रशासन के माध्यम से निस्तारित कराने की जिम्मेदारी हॉट बाजार संचालक की ही होगी।

31.शर्ते अनुबन्ध का भाग होगी तथा उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने की दशा में आवंटन निरस्त कर पुन आवंटन किया जायेगा।

हाट बाजार लिपिक नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।	कर निरीक्षक नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।
कर अधीक्षक नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।	नोडल मार्केटिंग अनुभाग नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।
वरिष्ठ वित्त अधिकारी नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।	नगर आयुक्त नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।

कार्यालय नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम

नैनीताल रोड़, हल्द्वानी, पिन कोड– 263139

(www.Nagarnigamhaldwani.in) toll free no- 8882610000

E-Mail- haldwaninagarnigam@gmail.comnwjHkk"k%–05946–220035

पत्रांक :– 324 /मार्केटिंग अनुभाग/संशोधन दिनांक :– 13-5-25

शुद्धि पत्र

इस कार्यालय के पत्रांक सं0 233/मार्केटिंग अनुभाग दिनांक 03.05.2025 के द्वारा नगर निगम सीमान्तर्गत हॉट बाजारों के संचालन हेतु प्रकाशित सार्वजनिक सूचना की शर्त सं0 11 में जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया था जिसमें संशोधन करते हुए जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन संलग्न करना अनिवार्य नहीं है। अन्य नियम व शर्तें पूर्व की भॉति रहेंगी।

नगर आयुक्त
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।

प्रतिलिपि–

कार्यालय नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम

नैनीताल रोड़, हल्द्वानी, पिन कोड़– 263139

(www.Nagarnigamhaldwani.in) toll free no- 8882610000

E-Mail- haldwaninagarnigam@gmail.comnwjHkk"k%–05946–220035

पत्रांक :– /मार्केटिंग अनुभाग/संशोधन दिनांक :–

शुद्धि पत्र

इस कार्यालय के पत्रांक सं0 233/मार्केटिंग अनुभाग दिनांक 03.05.2025 एवं पत्रांक सं0 324/मार्केटिंग अनुभाग/संशोधन दिनांक 13.05.2025 के द्वारा नगर निगम सीमान्तर्गत हॉट बाजारों के संचालन हेतु प्रकाशित सार्वजनिक सूचना जिसमें हॉट बाजार आवेदन पत्र दिनांक 17.05.2025 को अपराहन 01:00 बजे तक प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे। अपरिहार्य कारणों से अब इस तिथि को आगे बढ़ाते हुए हॉट बाजार संचालन हेतु आवेदन पत्र दिनांक 23.05.2025 को अपराहन 01:00 बजे तक नगर निगम के कार्यालय कक्ष सं0 12 में जमा किये जा सकते हैं।

नगर आयुक्त
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।

दिनांक 17-5-2025

प्रतिलिपि– पृष्ठांकन 377

1. सम्पादक उत्तर उजाला को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सार्वजनिक को न्यूनतम निर्धारित दरों में अधिकतम 40 वर्ग सेमी0 पठनीय स्पेस में प्रकाशित कर भुगतान हेतु संस्करण की दो प्रतियां बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
2. प्रांजलि वैंचर्स को इस आशय से प्रेषित की वे उपरोक्त सार्वजनिक सूचना को नगर निगम वेबसाईट में अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
3. कार्यालय उप जिलाधिकारी हल्द्वानी, कार्यालय तहसीलदार हल्द्वानी, नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम के कार्यालय नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

नगर आयुक्त
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।